न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 109/2017 ई0रे0 — निर्णय दिनांकः 04.08.2022

श्री गोवर्धन दास पिता मांगुदास वैरागी (वैष्णव) नि.अमीरामा तहसील बडीसादडी

– वादी

।।बनाम।।

1. श्री शम्भुदास पिता श्री भेरूदास वैष्णव नि.अमीरामा हा.मु.मादड़ी (आकाशवाणी केन्द्र के पास) उदयपुर
2. श्री मदनदास पिता श्री भेरूदास जाति वैष्णव निवासी अमीरामा
3. श्री सुरेश पिता श्री भेरूदास जाति वैष्णव निवासी अमीरामा
4. श्रीमति केसर पिता भेरूदास पति धनश्यामदास वैष्णवनि.अमीरामा हा.नि. बम्बोरी तहसील छोटीसादडी
5. श्रीमति बदामी पत्नि स्व. भेरूदास जाति वैष्णव निवासी अमीरामा
6. श्री हीरादास पिता श्री शंकरदास जाति वैष्णव निवासी अमीरामा
7. श्री छगनदास पिता श्री शंकरदास जाति वैष्णव निवासी अमीरामा
8. श्री अर्जुनदास पिता श्री शंकरदास जाति वैष्णव निवासी अमीरामा
9. श्रीमति गीता पिता शंकरदास पति हीरादास वैष्णव नि.अमीरामा हा. मु.निमोदड़ा तहसील डूंगला
10. श्री रोड़ी लाल पिता श्री नन्दा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी अमीरामा
11. श्री राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,53,188 [illegible] तहत इस आशय का पेश किया कि यह कि आराजी खसरा संख्या 947, 258, [illegible] 26[illegible], [illegible]61, 262, 263, 264 कुल किता 8 कुल रकबा 18 बिघा 07 विस्वा [illegible] 50 रू. भूमि [illegible] के वर्तमान आराजी खाता संख्या 158 की आराजी नं0 322 रकबा 0.38 है0 लगानी 12.54 रूपया, नं. 323 रकबा 0.[illegible] नं. 324 रकबा 0.16है0 लगानी 5.28 रूपया, नं. 1012 रकबा 0.27है0 लगानी 8.91 रूपया, नं. 1164 रकबा 2.02है0 लगानी 28.28 रूपया भूमि का कुल किता 5 कुल रकबा 2.92है0 कुल लगानी 55.01 रूपया ग्राम अमीरामा पटवार सर्कल अमीरामा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 12:01:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 एक ही संयुक्त कुटुम्ब के वारिस है तथा मूल पुरूष मांगीदास जी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है मांगीदास जी के तीन पुत्र भेरूदास, शंकरदास, गोवर्धनदास हुये। भेरूदास जी का देहान्त हो चुका है जिनके वारिस शम्भुदास, मदनदास, सुरेशदास, केसर पिता भेरूदास, मु0 बदामी बाई पत्नि स्व. भेरूदास जी है एवं श्री शंकरदास जी का भी देहान्त हो चुका है जिनके वारिस हीरादास, छगनदास, अर्जुनदास, गीता पिता शंकरदास है। वर्णित आराजीयात् में भेरूदास का बटवाड़ा अनुसार कोई हक हिस्सा नही रहा है भेरूदास जी को उक्त आराजी के बदले अन्य आराजी कब्जे मे दी गई थी उक्त वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् पर वादी व प्रतिवादी क्रमांक 6 से 9 उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 07.08.1980 को मांगूदास जी ने एक रूपया स्टाम्प खरीद कर उस पर पंचो व तीनों पुत्रो की उपस्थिति व गांव के मौतबिरान व्यक्तियों के सामने उक्त स्टाम्प पर बटवाड़ा की लिखतम निष्पादित की तीनों पुत्रों कि सहमति व गांव के मौतबिरान व्यक्तियों कि मौजुदगी मे अपनी जायदाद का बटवाड़ा दिनांक 16.08.1980 को कर तीनों पुत्रों को अपना अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा सिपुर्द किया था, बटवाड़ा करने के बाद आराजी नं0 910 रकबा 4 बिघा 15 विस्वा लगान 8 रूपया 94 पैसा जो भेरूदास जी के भाईयों भाग के हिस्से आई होकर भेरूदास के कब्जे मे आई उक्त आराजी नं. 910 रकबा 4 बिघा 15 विस्वा को मांगुदास जी व भेरूदास जी दिनांक 11.07.1980 को श्री उंकार जी, कन्ना जी, भज्जा जी पिता दौला जी डांगी सा. अमीरामा को बिकाव कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। उक्त राशि भेरूदास जी ने प्राप्त की थी। एवं आराजी नं. 580 रकबा 5 बिघा 16 विस्वा भूमि को मांगीदास जी ने दिनांक 01.06.1977 को श्री मोहन जी, रामेश्वर जी,पालू जी पिता चुन्नी लाल जी डांगी निवासी अमीरामा को निस्फ हिस्सा 1/2 एवं श्री हीरालाल जी, दौला जी, रूपा जी पिता चतरभुज जी डांगी निवासी अमीरामा को निस्फ भाग बिकाव किया जो आराजी भेरूदास जी के हिस्से भाईयों भाग से आई थी वो राशि भेरूदास जी ने प्राप्त की थी। बिकाव नामे की रजिस्ट्री के अनुसार भेरूदास ने अपना हिस्सा भाईयों भाग से आया वो हिस्से बिकाव कर हस्तांतरित कर दिया। अब उपरोक्त वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात् में भेरूदास जी का कोई स्वत्व एवं अधिकार नही रहा है भेरूदास जी के देहान्त के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 का वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी मे कोई स्वत्व व अ[illegible] नही है। वादग्रस्त आराजीयात् का उपयोग उपभोग मांगूदास जी द्वारा [illegible] प्रतिवादी क्रमांक 6 से 9 अपने हक हिस्से पर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 भेरूदास जी के वारिस है। भेरूदास जी ने अपना हक हिस्सा की आराजी को मांगूदास जी की मौजुदगी में ही बिकाव कर दी जिससे भेरूदास जी का वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात् में कोई हक व हिस्सा नही है। वादग्रस्त आराजी की एक इंच भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 का कब्जा नही है। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 के मन मे बदनियति आने से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 12:01:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

भूमि राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर अपने पर करवा ली जिससे निरस्त कराने का अधिकारी तथा विधिवत् अपने हक हिस्से की आराजी का बटवाड़ा कराने का अधिकारी वादी है। कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजीयात् में प्रतिवादी क्रमाक 1 से 5 का कोई हक व अधिकार नही है वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रमाक 6 से 9 के नाम दर्ज रेकार्ड किया जाकर प्रतिवादी क्रमाक 1 से 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाना न्यायोचित है। एवं राजस्व रिकार्ड में वादी का अपने हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बटवाड़ा किया जाकर लगान की फाटनी किया न्यायोचित है।अतः वाद वादी स्वीकार कर डिग्री किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बरौज पेशी प्रतिवादी नं. 1से लगायत् 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित होने से तनकीयात कायम नहीं की गई ।शहादत वादी में वादी गोवर्धन दास का शपथ पत्र पी.डब्लू 1, व गवाह के शपथ पत्र प्रस्तुत हुये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार करने का ईस्तदुआ करते हुये वाद पत्र में अंकित धारा 53 की दाद विड्रा करने का निवेदन किया।

हमने पत्राबली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की नकल से यह सिद्व होता है कि वादग्रस्त आराजीयात् पुश्तैनी पेतृक होना साबित है राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार मूल पुरूष मांगुदास पिता मगनीरामदास वैष्णव द्वारा दिनांक 17/08/1980 स्वयं मांगुदास जी ने तीनों पुत्रों कि उपस्थिति में एवं मौत बिरान व्यक्तियों के सामने स्टाम्प पर पारिवारिक बंटवारा कि लिखतम की जाकर जायदाद का बंटवारा किया जाना शपथ पत्रों से बखूबी साबित किया गया है जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जहां पर पारिवारिक आपसी सहमति से बंटवारा हो जाता है तो इस प्रकार के पारिवारिक समझोतों को नजरअंदाज [illegible] जा सकता है। चूंकि इस वाद मांगुदास पिता मंगनीराम के पुत्र [illegible] आराजीयात बिकावनामा विक्रय पत्र दिनांक 11.07.1980 को विक्रय [illegible] है इसलिए वर्तमान में वादग्रस्त आराजी भैरूदास के वारिस के नाम पर दर्ज है [illegible] वाद में प्रतिवादी क्रमाक 1 से 5 है पारिवारिक समझौता अनुसार वाद को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद वादी सिद्व करने में पूर्णतया सफल रहे हैं इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रमाक 1 से 5 का नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 12:01:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

रिकार्ड से हटाया जाना व उनकी जगह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना व खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अत वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा अमीरामा की आराजी नंबर 322, 323, 324, 1012, 1164, कुल किता 5 रकबा 2.92 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी कंमाक 1 से 5 का नाम विलोपित किया जाकर इनके जगह राजस्व रिकोर्ड में वादी एवं प्रतिवादी कंमाक 6 से 9 का नाम अंकित किया जावें । वकिल वादी द्वारा धारा 53 की दाद विड्रा की जाती है व धारा 188 कि दाद वादीगण साबित करने असफल रहने से खारिज की जाती है। इसी आशय का पर्चा डिग्री अलग से बनाया जावें।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

1.

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 12:01:13 IST
Reason: SelfAttested